



# राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

लिंक रोड-3, पत्रकार कॉलोनी के सामने भोपाल

मध्यप्रदेश  
आरोग्यम  
सर्वोत्तम स्वास्थ्य

क्रमांक/एन.एच.एम./एच.डब्ल्यू.सी./ 2021/9265

भोपाल, दिनांक 07/06/2021

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन), इग्नू एवं म.प्र. मेडीकल साइंस यूनिवर्सिटी (MPMSU) द्वारा संचालित सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ (CCH) के जुलाई-दिसम्बर-2020, अक्टूबर-मार्च-2021 के प्रशिक्षणार्थियों की चॉइस-फिलिंग के आधार पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं.-05 में दर्शित जिले के उपस्वास्थ्य केन्द्र में आगामी आदेश तक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर-प्रशिक्षु (CHO Intern) के रूप में अस्थायी पदस्थापना की जाती है।

SN	ROLLNO	NAME	PSC_BATCH	DISTRICT	BLOCK	HWC-SHC NAME	NIN
1	CHO20023466	SARITA	Jul-Dec 2020	Barwani	Pansemal	Jahur	3636847174
2	CHO20022307	SEEMA	Jul-Dec 2020	Mandsaur	Malkheda	Chandwasa	8426581685
3	CHO20039017	DIVYA SELES MINJ	Jul-Dec 2020	Rewa	Teonthar	Shankarpur	7543243773
4	CHO20005704	NEHA BHARTI	Jul-Dec 2020	Sehore	Ichhawar	Semlijdid	7488174215
5	CHO20029692	KANCHAN GAUDIYA	Jul-Dec 2020	Shivpuri	Khaniyadhana	Pipra	1381876778
6	CHO20007026	UMESH KUMAR DHAKAR	Jul-Dec 2020	Alirajpur	Katthiwada	Aambadaberi	6225611810
7	CHO20025505	RUCHI	Jul-Dec 2020	Alirajpur	Sondwa	Behadhwa	1113565731
8	CHO20041330	ANITA KUMARI	Oct-Mar 2021	Alirajpur	Udaigarh	Dedarwasa	7811531214
9	CHO20049826	VIDHIYA MALVIYA	Oct-Mar 2021	Alirajpur	katthiwada	Dehari	3726644341

## दिशा निर्देश:-

1. प्रशिक्षु CHO को 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से, आबंटित उपस्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अन्यथा यह नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी। नियत अवधि में ज्वाइन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को बाण्ड राशि 2 लाख रुपये जमा करने हेतु नोटिस जारी किया जायेगा।
2. ज्वाइन करते समय प्रशिक्षु CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में CCH प्रोग्राम स्टडी सेंटर से प्राप्त रिलीविंग लेटर तथा शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट जमा करना होगा। गर्भावस्था/अन्य बीमारी की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किये गये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ ही प्रशिक्षु कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को कर्तव्य पर उपस्थित होने की अनुमति होगी।
3. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ (CCH) परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर प्रशिक्षु CHO को अतिरिक्त 2 अवसर प्रदाय किये जायेंगे।
4. प्रशिक्षु CHO तीसरे प्रयास में अनुत्तीर्ण होने पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पद पर कार्य करने की पात्रता नहीं होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षा परिणाम अनुत्तीर्ण घोषित होते ही उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।
5. अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को भी बाण्ड राशि जमा करनी होगी।
6. प्रशिक्षु CHO को मातृत्व एवं चिकित्सकीय सहित किसी भी प्रकार के सवैतनिक अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

7. प्रशिक्षु CHO को CCH परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद आगामी माह से संविदा CHO के रूप में पदस्थापना दी जायेगी।
8. प्रशिक्षु CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी के मार्गदर्शन में कार्य करने हेतु आदेशित किया जायेगा। प्रशिक्षु अवधि में रु. 15000/- मासिक छात्रवृत्ति दी जायेगी।
9. प्रशिक्षु CHO को कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि भुगतान नहीं की जायेगी।

(छवि भारद्वाज)

मिशन संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/एन.एच.एम./एच.डब्ल्यू.सी/2021/ 9266

भोपाल, दिनांक 07/06/2021

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक एनएचएम मध्यप्रदेश।
4. संचालक वित्त, एनएचएम मध्यप्रदेश।
5. समस्त उपसंचालक, एनएचएम।
6. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी, मंदसौर, रीवा, सीहोर, शिवपुरी एवं अलिराजपुर मध्यप्रदेश, लेख है कि सी.एच.ओ. द्वारा उपस्वास्थ्य केन्द्र पर उपस्थिति की सूचना देने के पश्चात जिला एम.एण्ड.ई. अधिकारी को कम्प्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जानकारी HWC Portal में अपडेट किया जाने हेतु निर्देशित करें।
8. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, बड़वानी, मंदसौर, रीवा, सीहोर, एवं शिवपुरी एवं अलिराजपुर।

मिशन संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (म.प्र.)